कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

पत्रांक–1620 / 14–1(कैम्प चन्दौसी) दिनांक 26–1–2019

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

विषयः– सम्भल में आगरा–मुरादाबाद मार्ग (एन0एच0–93) नया एन0एच0–509 किमी0 186 चैनेज 186.180 की दांयी पट्री पर ग्राम अफजलपुर डरौली के खसरा संख्या–683 पर मै0 नयारा एनर्जी लि0 (पूर्व एस्सार ऑयल लि0) द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण की अनुमति।

सन्दर्भः– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक–1028 / सम्भल / 33049 / 2018 दिनांक–लखनऊ नवम्बर 16, 2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में सन्दर्भित पत्र के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी द्वारा कतिप्य बिन्दु सं0 1 से 11 तक आपत्तियां लगाई गई है। जिनका निम्न प्रकार बिन्दुवार निराकरण कर अनुपालन आख्या, एवं प्रस्ताव की 04 प्रतियां मूल में संस्तुति सहित संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है–

S.No.	Observation of Nodal Officer	Reply
1	प्रस्ताव के साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में प्रवेश मार्ग, निकासी मार्ग एवं मध्य भाग में अवस्थित कुल वृक्षों के सापेक्ष पातन किये जाने वाले वृक्षों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। संशोधित कर ऑनलाईन अपलोड कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में प्रवेश मार्ग, निकासी एवं मध्य भाग में अवस्थित कुल वृक्षों के सापेक्ष पातन किये जाने वाले वृक्षों का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है जो कि प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–35 पर संलग्न है।
2	प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रभागीय वनाधिकारी की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में प्रभावित वन भूमि की श्रेणी अंकित नहीं की गई है। संशोधित कर ऑनलाईन अपलोड कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रभागीय वनाधिकारी की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में प्रभावित वन भूमि की श्रेणी अंकित कर दी गई है तथा संशोधित ऑनलाईन अपलोड कर प्रति प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–51 पर संलग्न है।
3	प्रस्तावित वन भूमि की विस्तृत गणना संलग्न नहीं है। संशोधित कर ऑनलाईन अपलोड कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	प्रस्तावित वन भूमि की विस्तृत गणना को प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है जो कि प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–16 पर संलग्न है तथा ऑनलाईन भी अपलोड कर दिया गया है।
4	प्रवेश मार्ग, निकासी मार्ग एवं मध्य भाग में अवस्थित कुल वृक्षों का विवरण एवं उसके सापेक्ष पातन किये जाने वाले वृक्षों का विवरण स्पष्ट नहीं है। संशोधित कर ऑनलाईन अपलोड कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	प्रवेश मार्ग, निकासी मार्ग एवं मध्य भाग में अवस्थित कुल वृक्षों का विवरण एवं उसके सापेक्ष पातन किये जाने वाले वृक्षों का स्पष्ट विवरण दे दिया गया है जो कि प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–50 पर संलग्न है तथा ऑनलाईन भी अपलोड कर दिया गया है।
5	प्रस्तावित वन भूमि की एन0पी0वी0 जमा किये जाने की बचनवद्धता में भविष्य में दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि जमा करने का उल्लेख अंकित नहीं किया गया है। संशोधित कर ऑनलाईन अपलोड कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	प्रस्तावित वन भूमि की एन0पी0वी0 जमा किये जाने की बचनवद्धता में भविष्य में दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि जमा करने का उल्लेख अंकित कर दिया गया है जो कि प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–38 पर संलग्न है तथा ऑनलाईन भी अपलोड कर दिया गया है।

6	एन0पी0वी0 की गणना के शीर्षक में एन0टी0पी0वी0 अंकित है जो त्रुटिपूर्ण है। संशोधित कर ऑनलाईन अपलोड कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	एन0पी0वी0 की गणना के शीर्षक में एन0टी0पी0वी0 के स्थान पर एन0पी0वी0 अंकित कर दिया गया है जो प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–39 पर संलग्न कर तथा संशोधित कर ऑनलाईन भी अपलोड कर दिया गया है।
7	प्रस्ताव के साथ संलग्न ले–आउटप्लान पठनीय नहीं है। पठनीय ले–आउटप्लान प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	प्रस्ताव के साथ पठनीय ले–आउटप्लान संलग्न कर दिये गये है जो प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–18 पर संलग्न है।
8	ऑनलाईन पार्ट–2 के बिन्दु–4 पर वानस्पतिक घनत्व 0.02 अंकित है, जिसका आंकलन त्रुटिपूर्ण है। ऑनलाईन संशोधित कर पार्ट–2 की प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	ऑनलाईन पार्ट–2 के बिन्दु–4 पर वानस्पतिक घनत्व 0.02 के स्थान पर 0.2 कर दिया गया है। संशोधित पार्ट–2 की प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दी गई जो प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–08 पर संलग्न है।
9	ऑनलाईन पार्ट–2 के Additional Information Details में प्रवेश मार्ग, निकासी मार्ग एवं मध्य भाग में अवस्थित कुल वृक्षों एवं पातन किये जाने वाले वृक्षों का विवरण अपलोड नहीं है।	ऑनलाईन पार्ट–2 के Additional Information Details में प्रवेश मार्ग, निकासी मार्ग एवं मध्य भाग में अवस्थित कुल वृक्षों एवं पातन किये जाने वाले वृक्षों का विवरण अपलोड कर दिया गया है।
10	ऑनलाईन पार्ट–2 पर प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति के स्थान पर वन संरक्षक को सम्बोधित पत्र अपलोड किया गया है जो सुसंगत नहीं है।	ऑनलाईन पार्ट–2 पर प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति का पत्र अपलोड कर दिया गया है।
11	प्रस्ताव के साथ संलग्न सी0डी0 में प्रस्तावित स्थल एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की Kml File उपलब्ध नहीं है।	प्रस्ताव के साथ संलग्न सी0डी0 में प्रस्तावित स्थल एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की Kml File संलग्न कर दी गई है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डी0के0 चतुर्वेदी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सम्भल वन प्रभाग सम्भल।

पत्रांक– / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डी0के0 चतुर्वेदी)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग सम्भल।